2012:**CGHC**:10399-**DB**

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>कोरम:</u> **<u>माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता एवं</u>**
<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,</u>

<u>दाण्डिक अपील संख्या 1097/1994</u>

अमदू

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य
(वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

(विचारार्थ)
सही/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

<u>माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता,</u>
मै सहमत हूँ |

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

(दिनांक 17/04/2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें)

सही/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता एवं**
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,

दाण्डिक अपील संख्या 1097/1994

अपीलार्थी अमद्दू, पिता शेख रमजान, उम्र लगभग 22 वर्ष,
निवासी शहीद हामिद नगर, पुरानी बस्ती, रायपुर

बनाम

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से : श्री विवेक राठौर, अधिवक्ता |
राज्य की ओर से : श्री जे.ए. लोहानी,
पैनल अधिवक्ता |

निर्णय
(दिनांक 17.04.2022 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, द्वारा पारित किया गया -

(1) यह अपील रायपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 72/90 में 15 जुलाई, 1994 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को उल्लेखित रीति से दोषसिद्धि और दण्डादेश दिया है, साथ ही यह निर्देश दिया गया कि दोनों दण्डादेश साथ साथ चलेंगी:-

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
धारा 302 सहपठित धारा 34, भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास

धारा 364 सहपठित धारा 34, भारतीय दंड संहिता	5 वर्ष का कठोर कारावास
धारा 392 सहपठित धारा 511, भारतीय दंड संहिता	2 वर्ष का कठोर कारावास

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

दोनों अभियुक्तगण अमदू (अपीलार्थी) और विजय कुमार का उपरोक्त अपराधों के लिए एक साथ विचारण हुआ। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 19.07.1989 की शाम को, मृतक पीताम्बर और दयालू (अ.सा.- 7) एक लेडीज़ साइकिल पर अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। जैसे ही वे कालीबाड़ी चौक (रायपुर शहर) के पास पहुंचे, दोनों अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने मृतक पीताम्बर की ओर चाकू तान दिया और चाकू की नोक पर उसे एक रिक्शा पर बैठाकर ले गए। उन्होंने दयालू (अ.सा.- 7) को भी धमकी दी कि यदि वह उनके साथ नहीं चला तो वे उसके दोस्त को मार डालेंगे। वे मृतक और दयालू (अ.सा.- 7) को ईसाई कब्रिस्तान की ओर ले गए और कब्रिस्तान की बाउंड्री के बाहर मृतक को एक खुंटा में रस्सी से बांध दिया। वे मृतक से देवकुमार के बारे में पूछ रहे थे। जब मृतक ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने लाठी से उस पर हमला किया। मृतक की चीखें सुनकर वहां कई व्यक्ति एकत्र हो गए। अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार ने उन्हें धमकाया और कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर नहीं आने के लिए कहा। अभियुक्त व्यक्ति मृतक से 5,000/- रुपये की मांग कर रहे थे। आरोप यह है कि जब मृतक ने रकम नहीं दी, तो अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार ने उसे कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर फिर से एक कब्र पर क्रॉस से बांध दिया और इसके बाद मृतक को बार-बार चाकू से कई वार किए जिससे उसे कई गंभीर चोटें आईं और मृतक ने उक्त चोटों के कारण तत्काल दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने रस्सी काट दी और शव को मुक्त कर दिया। आगे आरोप हैं कि अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार ने दयालू (अ.सा.- 7) से 3000-4,000/- रुपये की मांग की। दयालू (अ.सा.- 7) ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, हालांकि, यदि वे उसे उसके घर ले चलें तो वह उन्हें पैसे दे सकता है। दयालू (अ.सा.- 7) को तब उसके घर ले जाया गया, जहां उसने अपनी मां, राज बाई (अ.सा.- 9) को बुलाया और अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार को पैसे देने के लिए कहा। राज बाई (अ.सा.- 9) ने अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार को 600/- रुपये दिए। तब भी अभियुक्तगण अमदू और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विजय कुमार ने दयालू को नहीं छोड़ा और उसे उसकी साइकिल के साथ ले गए। रास्ते में, गश्त पर तैनात आरक्षक रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) ने उन्हें देखा। रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) को देखकर, अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार साइकिल छोड़कर उस स्थान से भाग गए। रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) ने दयालू (अ.सा.- 7) को थाने ले गया, जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन **प्रदर्श.- पी/6** पंजीकृत कराई गई | दयालू (अ.सा.- 7) द्वारा दिनांक 20.07.1989 को लगभग 00:15 बजे विवेचना अधिकारी के साथ घटनास्थल (ईसाई कब्रिस्तान) पर पहुंचा, और पंचो को **प्रदर्श- पी/1** का नोटिस दिया तथा मृतक के शव का मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन **प्रदर्श- पी/2** द्वारा तैयार किया। मृतक के शव को **प्रदर्श-पी/20** के अनुरोध पत्र के द्वारा शव परीक्षण हेतु डी.के. अस्पताल, रायपुर भेजा गया, शवपरीक्षण डॉ. डी.सी. जैन (अ.सा.- 3) द्वारा किया गया। उन्होंने पेट के क्षेत्र और निचले अंगों पर कई छिद्रित घाव (संख्या में 7) देखे। आंतों पर कटे घाव और छिद्र थे और पेट की गुहा में भारी मात्रा में रक्त जमा हो गया था। शव परीक्षण करने वाले शल्यचिकित्सक का मत था कि सभी चोटें मृत्युपूर्व की थीं, जो चाकू जैसे धारदार हथियार से कारित की गई थीं और प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थीं। मृत्यु का कारण रक्तस्राव और सदमे के कारण बेहोश होना और मृत्यु, मानववध प्रकृति की थी। शवपरीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्श- पी/3** है। घटनास्थल से विभिन्न वस्तुएं जब्त की गईं। मृतक और अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार के कपड़े भी जब्त किए गए। विवेचना की अग्रिम कार्यवाही में, अभियुक्त अमदू को अभिरक्षा में लिया गया और दिनांक 21.7.1989 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श- पी/11** के द्वारा अभिलिखित किया गया और उसके कहने पर लाठी, चाकू, कपड़े और तलवार जब्त की गईं। जब्त की गई वस्तुओं को, अनुरोध पत्र **प्रदर्श- पी/21** के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रतिवेदन **प्रदर्श- पी/22** के द्वारा प्राप्त हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रतिवेदन के अनुसार, विभिन्न वस्तुओं, जिनमें लाठी, चाकू और तलवार शामिल हैं, पर रक्त के धब्बे पाए गए, हालांकि, विघटन के कारण उनकी उत्पत्ति निर्धारित नहीं की जा सकी। केंद्रीय प्रयोगशाला की प्रतिवेदन, इस संदर्भ में, **प्रदर्श- पी/23** है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष ने एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी, दयालू (अ.सा.- 7) के साक्ष्य पर भरोसा किया और उसने राज बाई (अ.सा.- 9) और आरक्षक रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) के सारभूत साक्ष्य पर भी भरोसा किया। शेख जमील (अ.सा.- 8) और इजरायल खान (अ.सा.- 6) का भी

अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया जो कब्रिस्तान के बाहर मारपीट की घटना देखने वाले साक्षियों में से थे और अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार द्वारा उनके पास न आने के लिए धमकाया गया था। शेख जमील (अ.सा.- 8) और इजरायल खान (अ.सा.- 6) पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हो गए। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दयालू (अ.सा.- 7) के एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी पर भरोसा किया और रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) और राज बाई (अ.सा.- 9) के साक्ष्य से समर्थन लेते हुए अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध और दण्डादेश दिया।

(3) सह-अभियुक्त- विजय कुमार ने भी अपनी अलग अपील दायर की थी जिसका प्रकरण दाण्डिक अपील क्रमांक 1098/94 था। अपील लंबित रहने के दौरान दिनांक 24.9.1998 को उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए, विजय कुमार की ओर से प्रस्तुत अपील को 22 फरवरी, 2012 को उपशमित हो जाने के कारण खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक राठौर, ने तर्क दिया कि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी, दयालू (अ.सा.-7), विश्वसनीय नहीं है; कब्रिस्तान के बाहर मारपीट के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी अर्थात्- शेख जमील (अ.सा.-8) और इजरायल खान (अ.सा.-6) पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हो गए| राज बाई (अ.सा.-9) और दयालू (अ.सा.-7) के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि दयालू को बहुत लंबे समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था| उसका संपूर्ण साक्ष्य और आचरण यह दर्शाता है कि वह पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं था और उसकी एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी पर आधारित दोषसिद्ध को कायम नहीं रखी जा सकती।

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी, ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 यह प्रावधान करती है कि किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं होगी। यह सुस्थापित है कि साक्षियों की संख्या नहीं बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। आवश्यकता गुणवत्ता की है, मात्रा की नहीं। न्यायालय के पास हमेशा यह विकल्प होता है कि वह एक मात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करे, हालांकि न्यायालय के लिए पुष्टीकारक साक्ष्य की तलाश करना अनुमेय है। अर्थात् यदि साक्षी पूर्ण रूप से विश्वसनीय है, तो उसके एक मात्र साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि न्यायालय को पुष्टि मांगनी चाहिए या नहीं? सामान्यतः न्यायालय पुष्टि पर जोर नहीं देगा सिवाय जब साक्षी की गवाही की प्रकृति ही, सावधानी के तौर पर, यह मांग करती हो कि पुष्टि होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) इन व्यापक सिद्धांतों के आधार पर अब हम दयालू (अ.सा.-7) की गवाही का परीक्षण करेंगे।

(9) दयालू (अ.सा.-7) और मृतक पीताम्बर दोस्त थे। दयालू के अनुसार दोनों एक लेडीज़ साइकिल पर जा रहे थे। रास्ते में अभियुक्तगण अमदू (अपीलार्थी) और विजय कुमार ने उन्हें रोक लिया और मृतक को चाकू के नोक पर अपहरण किया और उसे रिक्शा पर बैठाकर ले गए। दयालू (अ.सा.-7) ने गवाही दी कि जब उसने अपनी साइकिल पर महिला थाना की ओर जाने की कोशिश की, तो अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार ने उसे धमकी दी कि यदि वह उनके साथ नहीं चला तो वे मृतक को मार डालेंगे। यह तथ्य, कि यदि दयालू (अ.सा.-7), अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार के साथ नहीं चला तो वे मृतक को मार डालेंगे, का प्रथम सूचना प्रतिवेदन **प्रदर्श- पी/6** में वर्णन नहीं है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन **प्रदर्श- पी/6** में, केवल साधारण वर्णन है कि अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार ने, मृतक को ले जाते समय, दयालू (अ.सा.-7) को शोर न मचाने के लिए धमकाया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन **प्रदर्श- पी/6** में अन्य मामूली विसंगतियां भी हैं। दयालू (अ.सा.-7) ने आगे गवाही दी कि जब अभियुक्त व्यक्ति उसे लेडीज़ साइकिल पर किसी अज्ञात स्थान की ओर ले जा रहे थे, तो आरक्षक रमाकांत सिंह (अ.सा.-1) रास्ते में उनसे मिला और तब अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार भाग गए। रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) गश्ती ड्यूटी पर था। उसका साक्ष्य काफी स्वाभाविक प्रतीत होता है। रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) के

अनुसार, जब वह मोहल्ला ब्रह्मपुर में गश्ती ड्यूटी पर थे, तो उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति (2 अभियुक्त, अमदू, विजय कुमार और दयालू(अ.सा.-7)) एक लेडीज़ साइकिल पर आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में उन्हें रोका और पूछा कि वे कहां जा रहे हैं? इस पर, सभी 3 व्यक्ति (दयालू (अ.सा.- 7), सहित अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार) भाग गए। जब रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) ने दयालू (अ.सा.- 7) सहित दोनों अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार का पीछा किया, तब दयालू (अ.सा.- 7) को रोका जा सका और अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार भागने में सफल रहे। दयालू (अ.सा.- 7) ने रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) को घटना का खुलासा नहीं किया। रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) के अनुसार, दयालू ने केवल इतना कहा कि वह एक बात बताएगा, लेकिन उसे थाना ले जाया जाए। रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) ने तब दयालू (अ.सा.- 7) को थाना ले गया। रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) ने अपने मुख्य परीक्षण के कण्डिका- 2 में स्पष्ट शब्दों में अभिसाक्ष्य दिया है कि दयालू (अ.सा.- 7) ने थाना में कहा कि अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार ने मृतक पीताम्बर की हत्या की है। दयालू (अ.सा.- 7) ने यह बात श्री सिंह के समक्ष बताई थी। यदि दयालू (अ.सा.- 7) का अपहरण किया गया था और वह मृतक पीताम्बर के अपहरण और हत्या की घटना का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी था, तो उसने यह सब रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) को तुरंत क्यों नहीं बताया? दयालू (अ.सा.- 7) भी अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार के साथ भागने की कोशिश क्यों की और रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) द्वारा पीछा किए जाने पर ही पकड़ा जा सका। सामान्य आचरण में, दयालू (अ.सा.- 7) आरक्षक को देखने के बाद मदद के लिए चिल्लाता और भागने के बजाय उसकी शरण लेता और तुरंत उसे पूरी कहानी सुनाता। दयालू (अ.सा.- 7) का उपरोक्त आचरण, इस प्रकार, संदिग्ध प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) इसके अलावा, हम पाते हैं कि मृतक के अपहरण की पहली घटना सघन इलाके में हुई जहां कई व्यक्ति सड़क से गुजर रहे थे। यहां तक कि थाना भी उस स्थान के बहुत निकट था। दयालू (अ.सा.- 7) ने कई व्यक्तियों से मुलाकात की जब मृतक को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था और मृतक की हत्या करने के बाद अपने घर लौटते समय भी रास्ते में, उसने शोर नहीं मचाया। यहां तक कि उसने मदद के लिए पुकार भी नहीं लगाई। इतना ही नहीं, जब वह अपने घर गया और उसकी मां से पैसे देने के लिए कहा गया, तो उसने कोई शोर नहीं मचाया। इससे उसका आचरण और अधिक संदेहास्पद हो जाता है।

(11) दयालू (अ.सा.-7) ने अपने साक्ष्य के कंडिका-17 में भी स्वीकार किया कि उसे थाना में 3-4 दिनों के लिए अभिरक्षा में रखा गया था। राज बाई (अ.सा.-9) ने भी कण्डिका-13 में स्वीकार किया कि दयालू (अ.सा.-7) को थाना में 6-7 दिनों के लिए अभिरक्षा में रखा गया था और अभिरक्षा की उस अवधि के बाद ही वह घर लौट सका। एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी को इतनी लंबी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में क्यों रखा जाएगा। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष का उपरोक्त आचरण दयालू (अ.सा.-7) की गवाही पर संदेह पैदा करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने तुरंत पुलिस को सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया।

(12) राज बाई (अ.सा.-9), दयालू (अ.सा.-7) की मां हैं। उन्होंने गवाही दी कि अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार रात में उनके बेटे को लेकर आए थे और उन्होंने उनसे पैसे मांगे थे। उन्होंने पहले 300/- रुपये दिए और फिर उन्होंने उन्हें फिर से 300/- रुपये दिए। इसके बाद अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार ने उनके बेटे को साइकिल पर बैठाकर ले गए। अगली सुबह, उन्हें पता चला कि उनके बेटे, दयालू (अ.सा.-7), को थाना में अभिरक्षा में लिया गया है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि दयालू (अ.सा.-7) ने अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार के कृत्यों के संबंध में अपनी मां से कोई शिकायत नहीं की। यहां तक कि उसने अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार द्वारा मृतक की कथित हत्या करने के बारे में भी खुलासा नहीं किया। राज बाई (अ.सा.- 9) का घर एक सघन इलाके में स्थित है। कई पड़ोसी उनके घर के आस-पास रह रहे थे। जब उनके बेटे, दयालू (अ.सा.- 7), को अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार उपरोक्त तरीके से अपहरण के अंदाज में ले जा रहे थे, तो राज बाई (अ.सा.- 9) ने कोई हल्ला क्यों नहीं मचाया। यहां तक कि राज बाई (अ.सा.- 9) ने अपने बेटे दयालू (अ.सा.- 7) के अपहरण के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीकृत कराना भी उचित नहीं समझा। उनके अनुसार राज बाई (अ.सा.- 9) के घर से थाना 300 गज की दूरी पर था। तब भी कोई शोर नहीं मचाया गया। राज बाई ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका- 7 में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि उनके पति और दूसरे बेटे ने सुबह कहा कि पीताम्बर की मृत्यु हो गई है और पुलिस ने दयालू को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि यह खबर सुनने के बाद भी, उन्होंने अपने पति और दूसरे बेटे को रात की घटना के बारे में नहीं बताया। राज बाई (अ.सा.- 9) का उपरोक्त आचरण न केवल उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है, बल्कि यह दयालू (अ.सा.- 7) की गवाही पर भी संदेह पैदा करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जब अभियुक्त व्यक्ति कब्रिस्तान के बाहर मृतक को पीट रहे थे, तो मृतक की चीखों पर इलाके के निवासी वहां एकत्र हो गए थे। उनमें से दो व्यक्ति अर्थात् शेख जमील (अ.सा.-8) और इजरायल खान (अ.सा.-6) का अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया, लेकिन वे पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हो गए। निस्संदेह अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार कोई आग्नेयास्त्र नहीं रखे थे वे केवल लाठी और चाकू रखे थे और तलवार बाद में लाई गई थी। इन परिस्थितियों में भी, शेख जमील (अ.सा.-8) और इजरायल खान (अ.सा.-6) सहित अनेक व्यक्ति उन्हें पकड़ नहीं सके। यहां तक कि इलाके के किसी भी निवासी ने, जो कि एक सघन कस्बे में आता है, ऐसी गंभीर घटना के बारे में पुलिस को शिकायत नहीं की या पुलिस को फोन नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14) रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) और राज बाई (अ.सा.- 9) के साक्ष्य के अवलोकन में दयालू (अ.सा.-7) के संपूर्ण साक्ष्य को पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं पाते हैं। उसका आचरण यह दर्शाता है कि उसने कभी शोर नहीं मचाया और उसने अपहरण की घटना या अपीलार्थी द्वारा हत्या करने की कथित घटना के बारे में बहुत लंबे समय तक खुलासा नहीं किया, हालांकि वह कई व्यक्तियों से मिला और उसके पास भागने और इन सभी बातों का खुलासा करने के भरपूर अवसर थे। यहां तक कि उसने इन तथ्यों का खुलासा आरक्षक रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) को भी नहीं किया। इसके विपरीत उसने भागने की कोशिश की। थाना में उसने रमाकांत और श्री सिंह के समक्ष कथन किया है कि अभियुक्तगण अमदू और विजय कुमार ने मृतक की हत्या कारित की है। जब दयालू (अ.सा.- 7) को आरक्षक रमाकांत सिंह (अ.सा.- 1) पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लिया और 6- 7 दिनों के लिए निरोध में रखा गया। वास्तव में, अगली सुबह एक खबर आई, जैसा कि राज बाई (अ.सा.- 9) ने कहा, कि उनके बेटे को मृतक की हत्या के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा यह दृष्टिकोण है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य संदेहास्पद हो जाता है।

(15) उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी को धारा 302/34, 364/34 और 392/511 भारतीय दंड संहिता के तहत दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश अमान्य की जाती हैं। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाये गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी को दिनांक

22. 07.1989 को गिरफ्तार किया गया था और दिनांक 29.03.1995 को जमानत पर रिहा होने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात व्यतिक्रम किये जाने पर उसे फिर से अभिरक्षा में लिया गया हालांकि, उसे दिनांक 28.07.2010 के आदेश द्वारा रिहा किया गया। वर्तमान में अभियुक्त अमदू(अपीलार्थी) जमानत पर है। उसकी जमानत बंध-पत्र निरस्त की जाती हैं और प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता हैं।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By : ANKIT SHRIVAS